<u>वार्षिक लेखे पूर्ण कराया जाना/तत्काल</u>

<u>संख्या- 83/1153/84-1-13-1035(अनु0सम्परीक्षा)/2013</u>

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

<u>उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1</u> लखनऊ दिनॉक 01 नवम्बर, 2013

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों की वर्ष 2012-13 तक बकाया वार्षिक लेखों को पूर्ण कराकर अनुपूरक सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) उत्तर प्रदेश शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या-वि0आ0प्र0(सि0/रे0)399/दस-10(68)/2002टी0सी0, दिनॉक 29 अक्टूबर, 2013 एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-एसएस-।।।/पीएसयू/क्यूएए/2013-14/276, दिनॉक 15-10-2013 की प्रति संलग्नक सहित भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क़पया उपमहालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद की अपेक्षानुसार संलग्न में उल्लिखित अपने विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रमों की वर्ष 2012-13 तक के वार्षिक बकाया लेखों को तत्काल पूर्ण कराने के उपरान्त उप महालेखाकार-एसएस-।।। (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को **प्राथमिकता के आधार पर** उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in